JALAUN POLICE

दिनांक – 20.09.2026

कोतवाली उरई पुलिस द्वारा 02 असलहा तस्करों को 02 अदद देशी पिस्टल 32 बोर एवं 02 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

अपर पुलिस महानिदेशक महोदया, कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र, झांसी के निर्देशन में तथा पुलिस अधीक्षक जनपद जालौन के पर्यवेक्षण व अपर पुलिस अधीक्षक जालौन के नेतृत्व में अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत कोतवाली उरई पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग के दौरान **1-** अभियुक्त सहदीप पुत्र रुपसिंह निवासी ग्राम ममना थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर के कब्जे से एक अदद तमन्चा 315 बोर, दो अदद देशी पिस्टल 32 बोर एवं **2-** अभियुक्त रविन्द्र उर्फ रवि पुत्र विपिन सिंह निवासी ग्राम ममना थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर के कब्जे से एक अदद तमन्चा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया है।

अवैध असलहा व कारतूस की बरामदगी के संबन्ध में कोतवाली उरई पर क्रमशः मु0अ0सं0 563/2026 धारा 9/25 आर्म्स एक्ट तथा मु0अ0सं0 564/026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है एवं नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुये अभियुक्तगण रविन्द्र उर्फ रवि एवं सहदीप को जेल भेजा गया है।

प्रारम्भिक पूछताछ में अभियुक्तगण द्वारा बताया गया है कि हम लोग लहार जनपद भिण्ड म0प्र0 से पिस्टल व तमंचा लाकर जनपद जालौन के उरई व आस-पास के क्षेत्र में बिक्री करते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1-रविन्द्र उर्फ रवि पुत्र विपिन सिंह उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम ममना थाना जलालपुर जिला हमीरपुर

2-सहदीप पुत्र रुप सिंह उम्र करीब 26 वर्ष निवासी ग्राम ममना थाना जलालपुर जिला हमीरपुर

बरामदगी का विवरण -

1- 02 अदद पिस्टल देशी 32 बोर

2- 02 अदद तमन्चा 315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त रविन्द्र उर्फ रवि

1.मु0अ0सं0 23/25 धारा 109(1), 3(5) बीएनएस व धारा 25/27/3 आर्म एक्ट थाना चरखारी जनपद महोबा।

अभियुक्तगण के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी आस-पास के थानों/जनपदों से की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण -

1. प्रभारी निरीक्षक कोतवाली उरई मय पुलिस टीम